



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0 / 01/2026

दिनांक: 26 सितम्बर, 2026

कार्यालय ज्ञाप

सत्र 2026-27 में शोध प्रवेश हेतु योग्य शिक्षकों को शोध पर्यवेक्षक (Supervisor) निर्धारित प्रारूप पर (संलग्न) आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है।

इच्छुक शिक्षक दिनांक 15.10.2026 तक निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन वांछित अभिलेखों सहित कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रेषित करने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।


26.9.26
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समन्वयक, शोध एवं विकास समिति।
2. समस्त संकायाध्यक्ष।
3. अधिष्ठाता, शैक्षणिक।
4. समस्त नोडल अधिकारी, विभिन्न समिति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
5. समस्त संयोजक।
6. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
7. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
8. प्रभारी वेबसाइट।
9. गार्ड फाइल।


26.9.26
कुलसचिव



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

नए शोध निर्देशक के रूप में अनुमोदन/पूर्व अनुमोदित शोध निर्देशक के अद्यतनीकरण सूचना के लिए आवेदन प्रपत्र

(सत्र 2026-2027)

कृपया सही बॉक्स पर टिक लगाये नए शोध निर्देशक ☐ पूर्व अनुमोदित शोध निर्देशक ☐

1. विषय/विभाग
2. विशेषज्ञता का क्षेत्र
3. संकाय
4. नाम (हिन्दी में)
Name (English Block Letters)

फोटो
स्वहस्ताक्षरित
कृपया स्टेपल न करे

5. माता का नाम
6. पिता का नाम
7. वर्ग (UR/OBC/SC/ST/EWS)
8. जन्म तिथि
9. पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर
10. पता स्थायी

पिन कोड

11. पत्र व्यवहार का पता
पिन कोड

मोबाईल/दूरभाष नं० ई-मेल

12. विश्वविद्यालय परिसर के संस्थान/संकाय अथवा संबद्ध महाविद्यालय का नाम व पता (जहाँ शिक्षक कार्यरत हैं)

नियुक्ति तिथि (नियुक्ति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

वर्तमान पद एवं विभाग

सम्बन्धित विषय/विभाग में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षा संचालन प्रारम्भ होने का वर्ष

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विषय/विभाग का स्वरूप (अ. राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित,

ब. स्थायी/अस्थायी)

13. जिस पद पर शिक्षक कार्यरत हैं, पद का स्वरूप (स्थायी/अस्थायी)
शिक्षक की शोध (Ph.D.) का विवरण (शोध की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
शोध उपाधि का नाम (पीएचडी, डीफिल आदि)

KDVerma
26/09/2026



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

विषय

शोध-प्रबन्ध का शीर्षक

शोध उपाधि प्राप्त करने की तिथि

विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम (जहाँ से शोध उपाधि प्राप्त की)

14. शिक्षण कार्य का अनुभव-

स्नातक वर्ष माह

स्नातकोत्तर वर्ष माह

15. यदि शिक्षक पहले से ही शोध निर्देशक (Supervisor)/सह-शोध निर्देशक (Co-Supervisor) के रूप में अनुमोदित है, तो निम्न तालिका के अनुसार विवरण (सह-शोध निर्देशक का आदेश एवं शोध संस्थान का नाम) संलग्न किया जाए-

क्र.सं.	शोधार्थी का नाम	शोधार्थी का श्रेणी UR/OBC (Non-Creamy Layer)/SC/ST/EWS	पंजीकरण तिथि	शोध विषय का शीर्षक	शोध प्रबंध प्रक्रियाधीन (Ongoing)/ जमा (Submitted)/ सम्मानित (Awarded)	शोध प्रबंध जमा होने की तिथि (Date of Thesis Submission)	शोध निर्देशक/सह- शोध निर्देशक के रूप में मार्गदर्शन (विश्वविद्यालय नाम सहित)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
शोध निर्देशक के रूप में मार्गदर्शन हेतु कुल रिक्त सीट (Ph.D. के लिए)							
शोध मार्गदर्शन हेतु लिए जाने वाले अभ्यर्थी की संख्या लिखें							



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

"किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक के रूप में आठ (08) पीएच0डी0 शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकता है। कोई भी सह आचार्य, शोध पर्यवेक्षक के रूप में अधिकतम छः (06) पीएच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम चार (04) पीएच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम, 2016 विनियम संख्या 6 उपविनियम संख्या 6.5)।

16. प्रकाशित शोध पत्रों की कुल संख्या
17. आवश्यक न्यूनतम प्रकाशित शोधपत्रों का विवरण - (आचार्य के लिए न्यूनतम पाँच एवं सहयुक्त आचार्य तथा सहायक आचार्य के लिए न्यूनतम दो शोधपत्र संदर्भित शोध पत्रिका में प्रकाशित होना अनिवार्य है)*

क्रम. सं.	शोध पत्र का शीर्षक	जर्नल का नाम	वर्ष	ISSN संख्या	सह-लेखक (Co-Author) की संख्या	मुख्य-लेखक (Main Author/ अनुरूपी लेखक Corresponding Author) या सह-लेखक (Co-Author)	इंडेक्स (यूजीसी केयर लिस्ट, स्कोपस, वेब आफ साइंस, रेफ्रीड जर्नल)	वेबसाइट का लिंक	इम्पैक्ट फैक्टर (यदि कोई है)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

- *6.1 विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप से नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पाँच शोध प्रकाशन किए हैं और विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय का कोई नियमित सह/सहायक आचार्य जो पीएच0डी0 उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हो उसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विधाओं में जहाँ कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हो अथवा केवल सीमित संस्था में संदर्भित पत्रिका हो तो संस्थान किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

6.2 केवल विश्वविद्यालय/संबंधित महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षण के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है। तथापि, उसी संस्थान के अन्य विभागों से अथवा अन्य सम्बद्ध संस्थानों से अंतर-विषयी क्षेत्रों में सह-पर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है। (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम, 2016 के अनुसार)

18. अपने अभ्यर्थन के समर्थन में यदि कोई अन्य विवरण देना चाहें जैसे कि पुस्तक लेखन/सम्पादन आदि तो अलग प्रपत्र पर लिखकर स्वहस्ताक्षर सहित संलग्न करें।

अभ्यर्थी शिक्षक का प्रमाणपत्र

मैं पदनाम
..... संस्थान/महाविद्यालय
..... में नियमित एवं पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में
दिनांक.....से कार्यरत हूँ। मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त विवरण/सूचनाएँ सत्य हैं। इनमें किसी भी सूचना/विवरण के असत्य पाये जाने पर शोध निर्देशक के रूप में मेरा अभ्यर्थन विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(अभ्यर्थी शिक्षक के हस्ताक्षर एवं दिनांक)

- संलग्नकों की क्रमवार सूची

विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य द्वारा शोध केंद्र का प्रमाणीकरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रस्तर 10 के अनुसार महाविद्यालय द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं निम्नवत होगी।

18. पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं

19.1 महाविद्यालयों को केवल उस स्थिति में पीएच0डी0 पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने हेतु पात्र माना जाएगा जब वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध प्रवेक्षकों की उपलब्धता, अपेक्षित अवसंरचना और सहायक प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं होने के सम्बन्ध में संतुष्ट कर पायेगा।

19.2 महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग, भारत सरकार/राज्य सरकार की शोध प्रयोगशालाएं तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जिनके संबंधित विभाग में कम से कम दो पीएच0डी0 अर्हता प्राप्त शिक्षक/वैज्ञानिक/अन्य शैक्षणिक स्टाफ हों तथा इन विनियमों के अनुरूप उप-खण्ड 19.3 में यथा विनिर्दिष्ट साथ ही अपेक्षित अवसंरचना और सहायक प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं मौजूद हों, उन्हें पीएच0डी0 पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए पात्र माना जाएगा। इसके साथ-साथ महाविद्यालयों को उन संस्थानों से अनिवार्य मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जिनके तहत वे कार्य करते हैं।



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

[महाविद्यालयों में शोध कार्यों के प्रोत्साहन/बढ़ावा देने हेतु यूजीसी द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर सभी योग्यता प्राप्त/अर्ह परास्नातक एवं स्नातक विभागों के शिक्षकों द्वारा शोध निर्देशन किया जाएगा (उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या - 41/सत्तर-5-2022-11/2021 दिनांक 6 जनवरी 2022)]

क्र०सं०	शिक्षक/वैज्ञानिक का नाम	विभाग	जन्म तिथि	शोध निर्देशक के रूप में अनुमोदन की तिथि
1.				
2.				

19.3 केवल निम्नानुसार उल्लिखित शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं वाले महाविद्यालय ही पीएचडी पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे:

19.3.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विधाओं के मामले में, सम्बन्धित संस्थानों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित विशिष्ट शोध प्रयोगशाला जिनमें प्रति शोधार्थी हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो और साथ ही कंप्यूटर सुविधाएं तथा अनिवार्य साफ्टवेयर तथा अबाधित विद्युत एवं जलापूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए।

19.3.2 नवीनतम पुस्तकों सहित चिन्हित ग्रंथालय संसाधन, भारतीय तथा राष्ट्रीय जर्नल, ई-जर्नल, सभी विधाओं हेतु विस्तारित कार्य घंटे, विभाग/ग्रंथालय में शोधार्थियों हेतु पठन लेखन हेतु पर्याप्त स्थान, अध्ययन तथा शोध सामग्री के भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए;

19.3.3 संस्थान/महाविद्यालय, आसपास के संस्थानों/महाविद्यालयों/अनुसंधान की अपेक्षित सुविधाओं तक पहुंच बना सकते हैं अथवा उन संस्थानों/महाविद्यालयों/अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं/संगठनों तक पहुंच बना सकते हैं जिनमें अपेक्षित सुविधाएं हैं।

संस्थान/महाविद्यालय प्रमुख द्वारा अनुसंधान केंद्र के लिए प्रमाणन एवं अग्रसारण:

प्रमाणित किया जाता है कि हमारे विभाग/महाविद्यालय/संस्थान

में सम्बन्धित विषय

में

स्नातक वर्ष से अथवा/तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वर्ष से कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल०/पीएचडी० उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 में वर्णित उपर्युक्त शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं पीएचडी० कार्यक्रम के संचालन के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विभाग/महाविद्यालय/संस्थान में अनुसंधान हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं और अनुसंधान कार्य हेतु उनका प्रयोग अनुमन्य होगा। इसके अलावा, यह प्रमाणित किया जाता है कि यदि किसी भी समय कुछ भी गलत पाया जाता है, तो अनुसंधान केंद्र के रूप में विभाग/महाविद्यालय/संस्थान का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी के शोध निर्देशक हेतु आवेदन पत्र को अग्रसारित किया जाता है।



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

विभागाध्यक्ष नाम:

हस्ताक्षर मुहर सहित:

दिनांक:

संकायाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य का नाम:

हस्ताक्षर मुहर सहित:

दिनांक:

(विश्वविद्यालय परिसर स्तर पर विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष, संस्थान स्तर पर निदेशक एवं महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य, द्वारा अग्रसरित कराना है)

KDVerma
26/09/2026

Prof. Keshav Deo Verma
(Coordinator)
Research And Development
Raja Mahendra Pratap Singh State University
Aligarh